प्रश्न सं. [क. 1997]
पि.क्र. अता. 1997

परिशिष्ट "37"

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर
न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) का राजस्व प्रकरण क्रमांक 44/अ–19(3)/2019–20

:–आदेश–:
पारित दिनांक 4/11/2019

1– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मान.विधायक , विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 96, बरगी, जिला जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1697/वि.बरगी/2019 दिनांक 10.10.2019 प्रेषित कर लेख किया है कि मान. मंत्री, पशुपालन विभाग म.प्र.शासन भोपाल द्वारा बरगी विधान सभा के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन डेयरी साईन्स एवं फूड टेक्नोलॉजी कालेज खोलने हेतु ग्राम मंगेली में 14 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जावे।

2– भूमि आवंटन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जबलपुर के माध्यम से तहसीलदार जबलपुर का जांच प्रतिवेदन प्राप्त । तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन किया गया । इश्तहार प्रकाशन अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं । ग्राम मंगेली प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. जबलपुर–2 स्थित भूमि ख.नं. 338/1, 338/2 रकवा क्रमशः 16.22 , 0.88 हे. मद घास म.प्र.शासन के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर उबड़– खाबड़ पहाड़ीनुमा है। ख.नं. 338/1 में श्री गणेश भगवान की पुरातत्व मूर्ति स्थापित है साथ ही खेल मैदान भी है। ग्राम की भौगोलिक जानकारी निम्नानुसार है – ग्राम में खाते का क्षेत्रफल – 334.56 हे., गैर खाते का क्षेत्रफल– 306.65 हे., ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल– 641.21 हे., घास का रकवा 61.24 हे., निस्तार प्रयोजन हेतु आरक्षित रकवा 1.83 हे., खाते के रकवा से घास का 2 प्रतिशत रकवा 6.69 हे., घास के रकवे से 2 प्रतिशत आरक्षित रकवा घटाने पर शेष रकवा 52.72 हे. है। तहसीलदार द्वारा डेयरी ट्रेनिंग कालेज हेतु ख.नं. 338/1 में से 14.00 हे. भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत से अभिमत प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र दिनांक 22.10.2019 प्रेषित किया गया । किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की मौन स्वीकृति मानी जाये। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) , जबलपुर द्वारा ग्राम मंगेली प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. जबलपुर–2 स्थित भूमि खसरा नं. 338/1 कुल रकवा 16.22 हे. मद घास में से 14.00 हे. भूमि नवीन डेयरी साईन्स एवं फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज खोलने हेतु पशुपालन विभाग को भूमि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये राजस्व पुस्तक परिपत्र 4–1 की कंडिका 36 के तहत ग्राम मंगेली प.ह.नं. 30 रा.नि.म. जबलपुर–2 स्थित भूमि खसरा नं. 338/1 कुल रकवा 16.22 हे. मद घास में से 14.00 हे. भूमि नवीन

4/11/19

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

डेयरी साईन्स एवं फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज खोलने हेतु म.प्र.शासन, पशुपालन विभाग के नाम निःशुल्क निम्न शर्तों के तहत आवंटित की जाती है :-

1. भूमि के किसी भी उपयोग व उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमति /अनुमोदन एवं अनापत्ति संबंधित स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जबलपुर से तथा विकास प्राधिकरण से एवं आवश्यक होने पर अन्य शासकीय विभागों से लेना आवश्यक होगा।
2. भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
3. शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
4. प्रस्तावित भूमि तक वैधानिक पहुंच मार्ग जिसकी चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भूमि पूरी तरह से अहस्तांतरणीय होगी।

(भरत यादव)
कलेक्टर,
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/8745/प्रवा.अपर कले.ग्रा./2019 जबलपुर, दिनांक 5/11/2019.

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय . भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. माननीय श्री संजय यादव, विधायक, बरगी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 96, जिला जबलपुर की ओर उनके पत्रक्रं. 1697/वि.बरगी/2019 दिनांक 10/10/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जबलपुर ।
6. तहसीलदार जबलपुर को सूचनार्थ एवं रिकार्ड अद्यतन किये जाने हेतु। उपरोक्त आवंटित भूमि का संशोधित खसरा पांच साला एवं नक्शे की प्रति 1 सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध करावें।
7. प्रवाचक, कलेक्टर न्यायालय/प्रवाचक, अपर कलेक्टर(ग्रामीण) जबलपुर को अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ।

कलेक्टर,
जबलपुर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग

Scanned with CamScanner